प्रेषक,

संख्या–874/चौवालिस–1/90-1/85 (खण्ड–2)

श्री आर० रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/नोएडा/बीडा/परिषद/निकाय के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
(2) प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष।
(3) प्रदेश के निगमों/उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों मे सम्बन्धित शासन के प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।

विषयः– सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों/निकायों/विकास प्राधिकरणों/परिषदों आदि में न्यायिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1। लखनऊः दिनांकः 1 जून, 1990

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/विकास प्राधिकरणों/परिषदों आदि में न्यायिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने पर उनकी सेवा शर्तों में एकरुपता रखे जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) यदि किसी सार्वजनिक निगम/उपक्रम/विकास प्राधिकरण/परिषद आदि को न्यायिक सेवा के अधिकारी की आवश्यकता हो तो केवल उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को ही प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने के लिए अनुरोध शासन के नियुक्ति अनुभाग–4 से किया जायेगा। तत्पश्चात नियुक्ति विभाग द्वारा निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से अनुरोध किया जायेगा।
(2) यदि किसी निगम/उपक्रम/विकास प्राधिकरण/परिषद आदि में पदनाम प्रबन्धक के रुप में दिये गये हों तो न्यायिक अधिकारी का पदनाम ''सामान्य प्रबन्धक'' (विधि) रखा जाय और एक से अधिक न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की दशा में वरिष्ठतम् न्यायिक अधिकारी को ''मुख्य सामान्य प्रबन्धक'' (विधि) का पदनाम दिया जाय अन्यथा पदनाम ''विधि परामर्शदाता'' (लीगल एडवाइजर) रखा जाय और एक से अधिक अधिकारी की तैनाती की दशा में वरिष्ठतम् अधिकारी को ''मुख्य विधि परामर्शदाता'' (चीफ लीगल एडवाइजर) पदनाम दिया जाय। परन्तु ''विधि परामर्शी'' का पदनाम न दिया जाय।
(3) प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को अपने दायित्वों को सुचारु रुप से निभाने हेतु कार्यालय व आवास में टेलीफोन तथा ऐसा उपयुक्त कार्यालय कक्ष, वाहन, आवास तथा स्टाफ अनुमन्य कराये जायं जो उसी स्तर के निगम/निकाय/उपक्रम/प्राधिकरण/परिषद आदि के अधिकारियों को अनुमन्य कराई गई सुविधा/स्तर से कम न हो।
(4) उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अन्य सेवा शर्तें शासन के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार रखी जायं तथा केवल वाहन, आवास तथा टेलीफोन की सुविधा के अतिरिक्त कोई ऐसी अन्य सुविधा अनुमन्य न की जाय जो उनके पैतृक विभाग में तैनाती की दशा में अनुमन्य न होती।
(5) उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को वही पूर्ण निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य होगी जो सरकारी सेवा में रहते हुए अनुमन्य होती।
(6) यदि किसी निगम/उपक्रम/निकाय/प्राधिकरण/परिषद आदि में विधिक कार्य की अल्प मात्रा हो तो पूर्णकालिक न्यायिक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु ऐसी परिस्थति में शासन के न्याय सचिव एवं विधि परामर्शी शाखा में तैनात न्यायिक अधिकारी की अंशकालिक सेवा विधि परामर्शी की लिखित अनुमति से शासन के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के भुगतान पर उपलब्ध हो सकेंगी।

2- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

[आर० रमणी]
सचिव

संख्या–874 (1)/चौवालिस–1/90 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(2) निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
(3) सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन।
(4) सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि न्यायिक अधिकारी के प्रतिनियुक्ति हेतु चयन में न्याय सचिव का अभिमत भी प्राप्त कर लिया जाय।
(5) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उ०प्र०।

आज्ञा से,

[आर० एन० सिन्हा]
अनु सचिव।